

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून।

संख्या 75 /ई-निविदा सह ई-नीलामी/भूखनि0ई0/2017-18

दिनांक 11 अप्रैल, 2018

कार्यालय ज्ञाप

जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के ग्राम अस्तल-2, क्षेत्रफल 0.40 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र के ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु प्रथम चरण (ई-निविदा) का परिणाम कार्यालय के आदेश संख्या 57/ई0निवि0सहई0नीला0/परिणाम/प्र0च0/उत्तरकाशी/भूखनि0ई0/2017-18 दिनांक 21 मार्च, 2018 के द्वारा जारी किया गया था जिसमें निम्नलिखित निविदाकारों को सफल घोषित किया :-

तालिका - 1

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री रमेश चन्द रमोला	M171220133039060	7,920 टन
2.	श्री मुनेन्द्र सिंह मटुडा	M180220150335147	7,920 टन
3.	श्री सुभाष नौटियाल	M180210110247587	7,920 टन
4.	श्री लक्ष्मण सिंह परमार	M180212132937917	7,920 टन

ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु उपरोक्त प्रथम चरण (ई-निविदा) के सफल निविदाकारों को कार्यालय के पत्र संख्या 012_Uttarkashi_Astal-2_Dunda_0.40ha /भूखनि0ई0/ई0निवि0सहई0नीला0/2017-18 दिनांक 23 मार्च, 2018 के माध्यम से ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र जारी किया गया, जिसकी सूचना विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कर तथा व्यक्तिगत दूरभाष तथा ई-मेल आदि के द्वारा भी सभी उपरोक्त सफल निविदाकारों को दी गयी।

ई-निविदा सह ई-नीलामी के द्वितीय चरण (ई-नीलामी) में प्रतिभाग करने हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 31.03.2018 सांय 05:00 बजे तक निम्नलिखित बोलीदाताओं द्वारा <https://eauction.gov.in> के माध्यम से ऑन लाईन आवेदन प्रपत्र एवं वांछित आवश्यक अभिलेख अपलोड कर प्रस्तुत किये गये :-

तालिका - 2

क्र0सं0	आवेदक का नाम/निवासी	यूनिक आई/बिडर आई0डी0	आवेदक की वित्तीय बोली
1.	श्री रमेश चन्द रमोला	M171220133039060	7,920 टन
2.	श्री मुनेन्द्र सिंह मटुडा	M180220150335147	7,920 टन
3.	श्री सुभाष नौटियाल	M180210110247587	7,920 टन
4.	श्री लक्ष्मण सिंह परमार	M180212132937917	7,920 टन

उपरोक्त तालिका-2 में वर्णित सभी 04 इच्छुक बोलीदाताओं के आमंत्रण प्रपत्र तथा उसके साथ संलग्नवांछित अभिलेखों का परीक्षण/मूल्यांकन करने के उपरान्त समिति की संस्तुति के आधार पर सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त तालिका-2 में वर्णित बोलीदाताओं को ई-निविदा सह ई-नीलामी आमंत्रण प्रपत्र में वर्णित 04.04.2018 सांय 05:00 पर ऑनलाईन नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग करने की अनुमति प्रदान की गयी।

ई नीलामी (द्वितीय चरण) में प्रतिभाग करने हेतु अनुमत किये गये निविदाकारों/बोलीदाताओं द्वारा दिनांक 09 अप्रैल, 2018 को अपराह्न 02:00 बजे से सांय 05:00 बजे तक पूर्व निर्धारित समयान्तर्गत ई-नीलामी प्रक्रिया में प्रतिभाग किया गया, जिसके eauction.uk.gov.in software के द्वारा ऑनलाईन परिणाम निम्नानुसार प्राप्त हुए हैं :-

क्र० सं०	बिडर मास्कड आई.डी.	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू.
1.	20181305712455	09 अप्रैल, 2018 सांय 06:21 बजे	3006234.00
2.	20181305712493	09 अप्रैल, 2018 सांय 05:39 बजे	1844766.00
3.	20181305712512	09 अप्रैल, 2018 सांय 07:01 बजे	3656268.00
4.	20181305712428	09 अप्रैल, 2018 सांय 07:03 बजे	3657654.00

प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की संख्या चार प्राप्त हुई है, जिनके द्वारा बोली गई उच्चतम बोली उपरोक्त तालिका में वर्णित है।

कार्यालय ज्ञाप संख्या 69/ई-निविदा सह ई-नीलामी/भू0खनि0ई0/2017-18, दिनांक 10 अप्रैल, 2018 के द्वारा ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर पर अपलोड की गई। जिसके उपरान्त ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर के द्वारा प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं की मास्कड आई.डी. हटाते हुए निम्नानुसार परिणाम प्राप्त हुए हैं :-

क्र० सं०	ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर में बिडर मास्कड आई.डी./नाम (विभागीय वेबसाइट द्वारा निर्गत पंजीकरण संख्या)	उच्चतम बिड सबमिट करने की तिथि एवं समय	बिडर वैल्यू रू.	उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 05 के द्वारा
1.	20181305712428/ Laxman Singh Parmar (M180212132937917)	9 अप्रैल, 2018 सांय 7:03 बजे	3657654	H1
2.	20181305712512/ SUBHASH NAUTIYAL (M180210110247587)	9 अप्रैल, 2018 सांय 07:01 बजे	3656268	H2
3.	20181305712455/ RAMESH CHAND RAMOLA (M171220133039060)	9 अप्रैल, 2018 सांय 06:21 बजे	3006234	H3
4.	20181305712493/ MUNEENDRA SINGH MATURA (M180220150335147)	9 अप्रैल, 2018 सांय 05:39 बजे	1844766	H4

ई-ऑक्शन सॉफ्टवेयर से प्राप्त परिणामों के आधार पर प्रतिभागी निविदाकारों/बोलीदाताओं को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियम 27 ग उपनियम द्वितीय चरण 5 के द्वारा उपरोक्त वर्णित तालिकानुसार प्रतिभागी निविदाकार/बोलीदाताओं को उनके द्वारा दर्ज अंतिम उच्चतम बोली के आधार पर क्रमशः H1, H2, H3, H4 घोषित किया जाता है।

श्री Laxman Singh Parmar (पंजीकरण संख्या – M180212132937917) जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के ग्राम अस्तल-2, क्षेत्रफल 0.40 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र से कुल 7,920 टन उपखनिज निकासी हेतु कुल धनराशि रू. 36,57,654.00 (रू0 छतीस लाख सत्तावन हजार छः सौ चौवन मात्र) को ई-निविदा सह ई-नीलामी प्रक्रिया के माध्यम से आवंटन हेतु एतद्वारा H1 घोषित है, आपसे, उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (क) उपनियम 1 के अनुसार, अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमान्तर्गत तीन दिन के अंतर्गत उनके द्वारा बोली गई अधिकतम उच्चतम बोली का दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 3,65,765.00 (रू0 तीन लाख पैसठ हजार सात सौ पैसठ मात्र) विभागीय लेखा शीर्षक- 0853 अलौह खनन धातुकर्म उद्योग-00, 102-खनिज रियायत शुल्क और स्वत्व शुल्क 01-00 में ट्रेजरी चालान के माध्यम से जमा कराते हुए तत्काल ट्रेजरी चालान की प्रति एवं विभागीय वेबसाइट में पंजीकरण के दौरान प्रेषित समस्त अभिलेखों की मूल प्रतियों सहित अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में जमा कराने का कष्ट करें, उसके उपरान्त ही आपके पक्ष में सफल बोलीदाता का घोषणा-पत्र जारी किया जा सकेगा।

श्री Laxman Singh Parmar पंजीकरण संख्या –(M180212132937917) को उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम 28 (ख) उपनियम (3) के अनुसार सात कार्यदिवसों के अंतर्गत दस प्रतिशत धनराशि अर्थात् रू0 3,65,765.00 (रू0 तीन लाख पैसठ हजार सात सौ पैसठ मात्र) निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक– 0853 अलौह खनन धातुकर्म उद्योग–00, 102–खनिज रियायत शुल्क और स्वत्व शुल्क 01–00 में जमा करानी होगी। उक्त धनराशि जमा कराये जाने के उपरान्त आपको प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक घोषित किया जायेगा। प्रोस्पेक्टिव पट्टाधारक के पक्ष में आशय पत्र जारी किये जाने की अग्रेत्तर कार्यवाही संपन्न की जायेगी।

आपसे अपेक्षित है कि उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) (संशोधन) नियमावली, 2017 के सुसंगत नियमों एवं जनपद उत्तरकाशी की तहसील डुण्डा के ग्राम अस्तल–2, क्षेत्रफल 0.40 हैक्टेयर उपखनिज क्षेत्र के ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया हेतु जारी निविदा प्रपत्र में वर्णित विभिन्न शर्तों अनुदेशों के अधीन समस्त कार्यवाही निर्धारित समयान्तर्गत संपन्न करना सुनिश्चित करें।

निदेशक